146

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 31 मई, 2010

ज्येष्ठ 10, 1932 (शक)

अधिसूचना

का०आ०............(अ).—राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार राज्य सभा के ऐसे सदस्य (सदस्यों) के, जिनकी पदावधि का उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित तारीख को अवसान होना है, स्थान (स्थानों) को, उनकी पदावधि के अवसान पर भरने के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करती है :—

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृति की तारीख
1	2	3	4
1	छत्तीसगढ़	2	29.06.2010
2	मध्य प्रदेश	3	29.06.2010
3	तमिलनाडु	6	29.06.2010
4	कर्नाटक	4	30.06.2010
5	उड़ीसा	3	01.07.2010
6	महाराष्ट्र	6	04.07.2010
7	पंजाब	2	04.07.2010
8	राजस्थान	4	04.07.2010
9	उत्तर प्रदेश	11	04.07.2010
10	उत्तराखंड	1	04.07.2010
11	बिहार	5	07.07.2010
12	झारखंड	2	07.07.2010

[फा. सं. एच-11024(2)/2010-वि. II/2]

(हस्ताक्षर) . . .,

(वी. के. भसीन),

सचिव, भारत सरकार ।

13141 CS(P) Govt. Press, U.T., Chd.